दिल्ली

07.07.20

प्रति,

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड शासन
रांची (झारखण्ड)

<u>विषय - वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के नीतिगत उल्लंघन रोकने झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 को ख़ारिज करने हेतु</u>

प्रिय श्री हेमन्त सोरेन जी,

ऑक्सफैम इंडिया की ओर से शुभकामनायें !

झारखंड प्रदेश में वनाधिकार और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर आपके नेतृत्व की सरकार से ऑक्सफैम इंडिया सहित प्रदेश के सिविल सोसाइटी संगठन काफी अपेक्षा रखते हैं।

बहुमूल्य खनिज सहित प्राकृतिक संपदा से समृद्ध झारखण्ड के 30% भू-भाग वन से आच्छादित है, जिससे आदिवासी व अन्य वन-निर्भर समुदायों की आजीविका, पहचान एवं गरिमा जुडी हुई है। झारखण्ड का आदिवासी समाज ऐतिहासिक तौर पर अपनी जंगल जमीन बचाने के संघर्ष की अगुवाई करते रहा है, फिर भी मानव विकास सूचकांक में पीछे छुट गया है। पिछले 150 वर्षों में आदिवासी व अन्य वननिर्भर समुदायों पर हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने एवं वन क्षेत्रों में व्यापक भूमि-सुधार और लोकतान्त्रिक अभिशासन (ग्राम-स्वराज) लागू करने के उद्देश्य से 'अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006' (पत्र में इसे आगे FRA कहा गया है) बनाया गया था ।

1. FRA का क्रियान्वयन कर, आदिवासी व वननिवासी समुदायों को उनका वाजिब हक़ दिलाना, आपके नेतृत्व में गठित सरकार की प्राथमिकता में है। परन्तु, पिछले एक वर्ष में वनाधिकार मान्य करने की गति बेहद धीमी रही है।
2. विगत 4 माह से पूरा देश, कोरोना के प्रकोप से गुजर रहा है। उस पर, हाल ही में शासन द्वारा प्रस्तावित झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 वन निवासियों के लिए किसी सदमे से काम नहीं है। प्रस्तावित नियमावली FRA के प्रावधानों के खिलाफ है व ऐतिहासिक अन्याय दूर करने की उसकी मंशा का निरादर करती है, साथ ही आदिवासी अधिकारों का हनन करती है।

**OXFAM INDIA**
**4th and 5th Floor, Shriram Bharatiya Kala Kendra, 1, Copernicus Marg, New Delhi – 110001**
**Tel: 91 11 46538000 | Email: delhi@oxfamindia.org**
**Oxfam India is registered as a Not for Profit Company under Section 8 of the Companies Act, 2013 with CIN U74999DL2004NPL131340**

3. उक्त नियमावली में विभिन्न वनोपजों सहित जलावन व चारा संकलित करने पर शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है, जबकि, FRA की धारा 3 में इन सबको लघु वनोपजों पर अधिकार के रूप में मान्य किया गया है ।
4. उससे भी बढ़कर, FRA की धारा 5, समुदाय को ग्रामसभा के जरिये अपने सामुदायिक संसाधनों की रक्षा, संवर्धन और प्रबंधन के लिए सक्षम बनाती है।
5. इस तरह, यह नियमावली, FRA का स्पष्ट उल्लंघन है । हांलांकि, उक्त नियमावली भारतीय वन कानून 1927 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर बनायी गयी है, पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, वनाधिकार के मामलों में FRA लागू होने के बाद, अन्य कानून गौण हो जाते है। इसके अलावा, झारखण्ड में पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में पेसा कानून (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम) सहित छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के प्रावधान लागू होते है, जिनके समक्ष प्रस्तावित नियमावली अवैधानिक और अवांछनीय है।
6. यदि इसे लागू किया जाता है और वन निर्भर समुदायों से वनोपज संकलन के लिए शुल्क वसूला जाता है तो उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मुख्यतः, महिलाएं ही जंगल से वनोपाज एकत्रित करती है, ऐसे भेदभावपूर्ण नियमों से उन पर बल-प्रयोग और शोषण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
7. पूरी दुनिया में यह माना जा रहा है कि भू-अधिकार सुरक्षा और सत्ता-शासन की सहभागिता से ही संसाधनों का बेहतर संरक्षण व आजीविका की सुरक्षा की जा सकती है। अतः, राज्य शासन को FRA के तहत सामुदायिक व व्यक्तिक वनाधिकारो की मान्यता देकर, इस नियम को तुरंत वापस लेना चाहिए। साल 2016 में ऑक्सफैम इंडिया तथा वन अधिकार के मुद्दों पर कार्यरत एक समूह (CFR - LA) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार झारखंड में कम से कम 5.26 मिलियन एकड़ जमीन पर सामुदायिक अधिकार का दावा किया जा सकता है।
8. केंद्र द्वारा कोयले की कमर्शियल नीलामी की प्रक्रिया के प्रति हम झारखण्ड शासन के रुख की प्रशंसा करते है, जो देश के संघीय ढांचे के सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। उसी तरह, हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार, वनाधिकार के हनन करने वाले प्रस्तावित नियमावली को रद्द करेगी ।
9. जैसे कि, कोरोना प्रकोप में नजर आया कि इसका सबसे बुरा असर सीमान्त तबकों की आजीविका पर पड़ा। ऐसे नियमावली से वन-आधारित आजीविका और बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, जिससे राज्य से बाहर पलायन बढ़ सकता है।

ऑक्सफैम इंडिया, झारखण्ड में वनाधिकार व जेंडर-न्याय के मुद्दे पर कार्यरत है, और स्थानीय संस्था-संगठनों के गठजोड़ के साथ मांग करता है, कि उक्त नियमावली को वापस लिया जाये। हमें आशा है, कि हमारी मांगों व सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा और आदिवासी व परम्परागत वननिवासियों के हित में राज्य सरकार, जल्द ही वनाधिकार के मुद्दे पर कार्यरत जनसंगठनो से संवाद करेगी।

भवदीय

Ranu Kayastha Bhogal
Director- Policy Research & Campaigns